

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0स0 617/25 धारा 87/64(1)351(3) BNS में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 12.10.2025 को थाना सदर बाजार पर वादिनी ने अभियुक्त प्रिंस रावत पुत्र सर्वेस कुमार रावत निवासी कटिया टोला थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी/पीडिता को बहला फुसलाकर The Bro Café/ Restaurant में ले जाकर गलत काम (दुष्कर्म) करने, पीडिता का अश्लील वीडियो बनाने व विरोध करने व जान से मारने की धमकी देने के संबन्ध में मु0अ0स0 617/25 धारा 87/64(1)/351(3) BNS पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त मुकदमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.10.2025 को गहनता से पतारसी सुरागरसी करते हुए अभियुक्त प्रिंस रावत को मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मिनारायन मंदिर ओसीएफ कैम्पस के पास से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

प्रिंस रावत पुत्र सर्वेस कुमार रावत निवासी कटिया टोला थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय व स्थान:-

दिनांक 13.10.2025 को समय करीब 12.35 बजे दिन लक्ष्मिनारायन मंदिर ओसीएफ कैम्पस थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोबाईल आई-फोन-13

पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

मु0अ0स0 617/25 धारा धारा 87/64(1)/351(3) BNS थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव
2. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला
3. उ0नि0 श्री शिवम अग्रवाल
4. का0 1757 संजय पोसवाल
5. का0 417 अंकित कुमार